


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1594]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2016/आषाढ़ 6, 1938

No. 1594]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2016/ASHADHA 6, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2016

का.आ. 2215(अ).— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45यक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को मुद्रास्फीति संबंधी लक्ष्य हासिल करने में असफलता के कारणों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- क. औसत मुद्रास्फीति किन्हीं तीन लगातार तिमाहियों तक उक्त अधिनियम की धारा 45यक के अंतर्गत अधिसूचित मुद्रास्फीति के ऊपरी सह्यता सीमा स्तर से अधिक है; अथवा
- ख. औसत मुद्रास्फीति किन्हीं तीन लगातार तिमाहियों तक उक्त अधिनियम की धारा 45यक के अंतर्गत अधिसूचित मुद्रास्फीति के निचली सह्यता सीमा स्तर से कम है।

[फा.सं. 12/1/2016-एफएसएलआरसी(ii)]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th June, 2016

S.O. 2215(E).—In exercise of the powers conferred by section 45ZN of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies the following as factors that constitute failure to achieve the inflation target, namely:—

- (a) the average inflation is more than the upper tolerance level of the inflation target notified under section 45ZA of the said Act for any three consecutive quarters; or
- (b) the average inflation is less than the lower tolerance level of the inflation target notified under section 45ZA of the said Act for any three consecutive quarters.

[F. No.12/1/2016-FSLRC(ii)]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser